समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या 7805 /सम्बद्धता/2014

दिनांक 10/03/2015

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामा महाविद्यालय,
गौरव विहार, चिनहट, लखनऊ।

विषय : रामा महाविद्यालय, गौरव विहार, चिनहट, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एम0एड0 एवं एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम की सहयुक्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूच्य है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–सम्ब0 177/सत्तर–6–2014–2(319)/2014, दिनांक 23 जून, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) के अधीन प्रदत्त पूर्वानुमति के क्रम में रामा महाविद्यालय गौरव विहार, लखनऊ को एम0एड0 पाठ्यक्रम में 35 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एवं एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2014 से शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु सहयुक्तता प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में संदर्भित पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल जो दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) है, प्राप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2014 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहयुक्तता प्रदान कर दी गयी है :–

1. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सहयुक्तता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राम कुमार)
कुलसचिव

संख्या : /सम्बद्धता/2015, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव